ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या – 01 , सैक्टर - नॉलेज पार्क - 04,
ग्रेटर नोएडा सिटी. जिला - गौतमबुद्ध नगर – 201310

पंत्राक : सम्पत्ति /का0आ0/2018/02
दिनांक :16/07/2018

<u>कार्यालय आदेश</u>

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या 112/20, दिनांक 07.07.2018 को मा0 सचांलक मण्डल द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के आधार पर जारी कार्यवृत पत्रांक संख्या अ0म0का0अ0/112वीं बो0बै0/2017/76 दिनांक 13.07.2018 के कम में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की समस्त प्रकार की आवासीय भूखण्डों / भवन के अन्तर्गत आवंटित परिसम्पत्तियों में रक्त सम्बन्धी में पौत्र-पौत्री को भी सम्मिलित किये जाने हेतु पूर्व जारी कार्यालय आदेश पत्रांक –संम्प/2016/317, दिनांक 25.11.2016 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :-

प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या 112/20, दिनांक 07.07.2018 के कम में सीधे रक्त संबधी में पौत्र - पौत्री को सम्मिलित किया जाता है।उक्त नीति के अनुसार इस प्रकार के समस्त हस्तांतरण पर कोई भी हस्तांतरण शुल्क देय नही होगा।

उक्त आदेश प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या 112/20, दिनांक 07.07.2018 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में जारी किया जा रहा है जोकि तत्काल प्रभाव से लागू होगे।

(आर0 के0 देव)
महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)

प्रतिलिपि :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ ।
2. स्टाफ आफिसर , अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (टी) महोदय को अवलोकनार्थ।
3. व्यैक्तिक सहायक , विशेषकार्याधिकारी (वी0सी0) महोदया को अवलोकनार्थ।
4. महाप्रबन्धक (वित्त) महोदय को अवलोकनार्थ।
5. वरिष्ठ कार्यपालक / प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।
6. समस्त प्रबन्धक (सम्पत्ति) को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
7. गार्ड फाइल।

16/7/18
महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या – 01 , सैक्टर - नॉलेज पार्क - 04,
ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला - गौतमबुद्ध नगर – 201310

पत्रांक : सम्पत्ति /का0आ0/2018/01
दिनांक :..16.../07/2018

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 112वीं वोर्ड बैठक की मद संख्या 112/23, दिनांक 07.07.2018 को मा0 सचालक मण्डल द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के आधार पर जारी कार्यवृत पत्रांक संख्या अ0म0का0अ0/112वीं वो0बै0/2017/76 दिनांक 13.07.2018 के कम में आवासीय भूखण्ड/भवन के सापेक्ष लीज्ड सम्पत्तियों में आगणित हो रही डिफलटिड धनराशि हेतु निम्नलिखित शर्तो के आधीन नीति निर्धारित की जाती है :-

1. प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों/ भवनों की योजनाओं के अर्न्तगत ऐसे समस्त प्रकार के आवंटी, जिनके पक्ष में प्राधिकरण द्वारा लीजडीड का निष्पादन नही किया गया है तथा उनपर किस्तों की धनराशि अथवा अन्य प्रकार की धनराशि की देयता है। उन समस्त प्रकरणों में आवंटियों से लीजडीड निष्पादन कराये जाने से पूर्व समस्त प्रकार की देयता की प्रतिपूर्ति कराई जाये।
2. प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों/भवनों की योजनाओं के अर्न्तगत ऐसे समस्त प्रकार के आवंटी , जिनके द्वारा आवंटित भूखण्ड/भवन की लीजडीड अपने पक्ष में निष्पादित करा ली गयी हो तथा उनके द्वारा तत्समय लीजरेन्ट व आवंटन के सापेक्ष समस्त प्रकार की धनराशि का भुगतान भी किया जा चुका हो, किन्तु वर्तमान में कम्प्युराइज्ड गणना के अनुसार उन आवंटियों के आवंटन के सापेक्ष देयता निकल रही है तथा देय धनराशि की गणना चकवृद्धि व्याज की गणना के उपरान्त वर्तमान में मूलधन से कई गुना अत्याधिक हो गई हो , जिसपर समय से मॉग पत्र भी जारी नही किया जा सका है, उन पत्रावलियों पर परीक्षण करते हुये उन आवंटियों से लीजडीड निष्पादन तिथि तक देय मूलधन की धनराशि पर (लीजडीड की तिथि से वर्तमान तिथि तक) का साधारण व्याज आरोपित करते हुये वसूली की जाये।
3. उक्त योजना दिनांक 31.03.2019 तक ही अनुमन्य होगी।

उक्त आदेश प्राधिकरण की 112वीं वोर्ड बैठक की मद संख्या 112/23, दिनांक 07.07.2018 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में जारी किया जा रहा है जोकि तत्काल प्रभाव से लागू होगे।

(आर0 के0 देव)
महाप्रवन्धक (सम्पत्ति)

प्रतिलिपि :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ ।
2. स्टाफ आफिसर , अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (टी) महोदय को अवलोकनार्थ।
3. व्यैक्तिक सहायक , विशेपकार्याधिकारी (वी0सी0) महोदया को अवलोकनार्थ।
4. महाप्रवन्धक (वित्त) महोदय को अवलोकनार्थ।
5. वरिष्ठ कार्यपालक / प्रवन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण वेवसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेपित।
6. समस्त प्रवन्धक (सम्पत्ति) को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेपित।
7. गार्ड फाइल।

16/7/18
महाप्रवन्धक (सम्पत्ति)